

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 सितम्बर 2019—भाद्र 18, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2019

शुद्धि-पत्र

क्र. 14924-247-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 373, दिनांक 3 सितम्बर, 2019 में प्रकाशित किए गए इस विभाग के शुद्धि-पत्र को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 362 दिनांक 24 अगस्त, 2019 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा चिन्हों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, अंक तथा चिन्ह पढ़े जाएं:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक तथा चिन्ह (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा चिन्ह आए हैं (2)	शुद्ध शब्द, अंक तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3)
(1) अंक तथा "28000"	पृष्ठ 724	पंक्ति 22 अंक "28000"
(2) "Rs. 500"	724 (9)	24 "Rs. 5000"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.